

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 2018—माघ 12, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. 5-एफ-6-7-2009-अठारह-3.—राज्य शासन, एतद्वारा, भेलसा रामलीला मेला समिति का गठन भेलसा रामलीला मेला विधान 1956 (विधान क्रमांक 21 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (1), (2), (2-अ) व (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, “भेलसा रामलीला मेला समिति”, विदिशा (म. प्र.) में 03 वर्ष के लिये निम्नानुसार व्यक्तियों को सदस्य तथा सचिव नियुक्त करता है:—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)
1	कलेक्टर, जिला विदिशा	अध्यक्ष
2	सतीश खत्री	सदस्य (शासन द्वारा नामांकित)
3	श्री गिरधर शास्त्री	सदस्य (शासन द्वारा नामांकित)
4	श्री मोहित चौबे	सदस्य (नगरपालिका विदिशा द्वारा नामांकित)
5	श्री संजीव मिश्रा	सदस्य (नगरपालिका विदिशा द्वारा नामांकित)
6	श्री चन्द्र किशोर मिश्र, शास्त्री	सदस्य (श्री रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित)
7	श्री सुरेश कुमार शर्मा, शास्त्री	सदस्य (श्री रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित)
8	श्री कैलाश नारायण चतुर्वेदी	सदस्य (श्री रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित)
9	श्री दिनेश कुमार शर्मा	सदस्य (श्री रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित)
10	श्री सतीश व्यास	सदस्य (श्री रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित)
11	श्री प्रशांत सिरभैया	सदस्य (श्री रामलीला सभा (रजि.) भेलसा द्वारा अनुशंसित)
12	डॉ. सुधांशु मिश्र	सचिव (शासन द्वारा नियुक्त)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, उपसचिव.